

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-6/2018/176/पॉच-8-2018-डी(19)/2017
लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० दन्त सर्जन सेवा(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-5(ख) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत दन्त सर्जन सेवा संवर्ग के निम्नांकित दन्त शल्यकों (वेतन बैंड-3 रू० 15,600-39,100 ग्रेड पे-54,00) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से ज्येष्ठ दन्त सर्जन (वेतन बैंड-3 रू० 15,600-39,100 ग्रेड पे-66,00) पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही तैनात किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र०सं०	वरिष्ठता क्रमांक	नाम
1	2	3
1.	20	डा० वेद प्रकाश श्रीवास्तव
2.	33	डा० के०के० मल्ल
3.	37	डा० अरूण रस्तोगी
4.	40	डा० जुगल किशोर गुप्ता
5.	43	डा० एस०एन०पी० गुप्ता
6.	46	डा० नीरज प्रकाश
7.	47	डा० मुनेश्वर बख्श सिंह
8.	50	डा० पूनम निगम
9.	51	डा० नलिनी गोयल
10.	52	डा० सुनीता अम्बष्ट
11.	56	डा० नन्द किशोर
12.	58	डा० राघवेन्द्र कुमार मिश्रा
13.	60	डा० पुरुषोत्तम कुमार सिन्हा
14.	61	डा० रमा कान्त श्रीवास्तव
15.	66	डा० जय प्रकाश वर्मा
16.	68	डा० अनिल कुमार
17.	70	डा० मणिकान्त गुप्ता
18.	71क	डा० प्रदीप कुमार वर्मा
19.	72	डा० जयेश करोली

-2/-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

20.	74	डा0 रत्ना गुप्ता
21.	75	डा0 दिनेश प्रताप सिंह
22.	77	डा0 भारती चतुर्वेदी
23.	89	डा0 मनीष माथुर
24.	90	डा0 प्रमोद कुमार
25.	91	डा0 अमित माथुर
26.	95	डा0 सुचेता गुप्ता
27.	98	डा0 गीता सिंह
28.	102	डा0 शिव कुमार
29.	105	डा0 हेमलता सक्सेना
30.	106	डा0 शरद चन्द पाण्डेय
31.	107	डा0 शिप्रा पाण्डेय
32.	109	डा0 पायल गुप्ता
33.	110	डा0 रितु सुबोध सिंह
34.	111	डा0 अवनीश कुमार गुप्ता
35.	112	डा0 अमित कुमार सिंह
36.	113	डा0 नवीन कुमार वर्मा
37.	115	डा0 पुष्पा सिंह
38.	116	डा0 आलोक राय
39.	118	डा0 संगीता सिंह
40.	120	डा0 प्रभुनाथ
41.	122	डा0 कैलाश चन्द्र भारती

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव।

संख्या-6/2018/176 (1)/पॉच-8-2018, तद्दिनांक।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रोन्नत किये गये दन्त शल्यकों के संबंध में यदि किसी दन्त शल्यक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही निलम्बन अथवा अनधिकृत अनुपस्थिति हो उस दन्त शल्यक को छोड़ते हुए शेष दन्त शल्यक को कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु अपने स्तर से तत्काल निर्देश जारी करें।

-3/---

-
1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, 30प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक(दन्त), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 30प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से सभी संबंधित दन्त शल्यकों को उक्त आदेश परिचालित कराने का कष्ट करें।
5. निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 30प्र0 शासन।
6. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्रशासन, 30प्र0, इलाहाबाद को गजट के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0।
8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, 30प्र0।
9. समस्त निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जिला/ मण्डलीय/ अन्य चिकित्सालय, 30प्र0।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, 30प्र0।
11. समस्त संबंधित दन्त शल्यकों को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत करें।
12. ✓ प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।